

16/07/9

पत्रावली फेंक डुरी वादी एवं वकील
वादी उपस्थित नहीं। उन्हें रोक-रोक नलवाल-
वाल आवाजे लगाकर गुरी व उपस्थित
नहीं आते। अतः वादी का यह वादपत्र
अस्वीकृत आदेश 9 दिवस 3 C.P.L. के
तहत आदि लिपि जाता है। पत्रावली
फैलने शुक्रादि दिवस वाद तदलीखें तदम
डाकिले उपस्थित जायी वाने उपलान
शुक्रादि गदाले

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

